पाँच रुपये | FIVE RUPEES

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये

FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 16AA 283223

[illegible]

[illegible] 300[illegible]

[illegible]

कार्यालय सहायक निबन्धक [illegible] उ.प्र. [illegible] वाराणसी

कृते सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी
21.6.10

भारती सिंह
निरोजनी सिंह

की सहायता के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच, नेत्र शिविर, निःशु
दवा वितरण, चश्मा, भोजन आदि की व्यवस्था करना।

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये | FIVE RUPEES

रु.5 | Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 16AA 283222

[illegible]

[illegible] 300/- [illegible]

[illegible]

कार्यालय सहायक निबन्धक [illegible] वाराणसी

कृते सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी

[illegible] .10

28

संशोधित स्मृति-पत्र

= = = = = = = = =

1-संस्था का नाम:- वेल्किन सोसाइटी ।

2-संस्था का पता:- एस.6/66-आर-30, प्रभातनगर कालोनी, इन्द्रानगर (एक्सटेंशन) चितईपुर, डी0एल0डब्लू0रोड, चितईपुर, जिला-वाराणसी (यू0पी0)

3-संस्था का कार्यक्षेत्र:- सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।

4-संस्था के उद्देश्य:- संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे -

- - - - - - - - -

1:-कार्यक्षेत्र के पुरुषों, महिलाओं, युवक-युवतियों के विकास व उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को तैयार कर उसे क्रियान्वित करना ।

2- महिलाओं, पुरुषों, युवकों-युवतियों के लिए हेयर आयल, अगरबत्ती, धूपबत्ती, मच्छर भगाने का क्वायल, लिक्विडेटर, नील, वाशिंग पाउडर, केक के जैसे ग्रामोधोग, कुटीर व उधोग की स्थापना करना ।

3:-खादी ग्रामोधोग आयोग/बोर्ड के नीतियों व पैटर्न के अनुसार विभिन्न प्रकार के ग्रामोधोग की स्थापना करना तथा उसे संचालित करना ।

4:-नशावृत्ति में फंसे युवकों के लिए नशामुक्ति अभियान चलाना तथा नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना करना ।

5:-दहेज प्रथा उन्मूलन, बाल-विवाह उन्मूलन पर कार्यक्रम तैयार कर उसे क्रियान्वित करना ।

6:-ग्रामीण विकास के लिए गांव की सड़कें, नाली, ग्रामीण शौचालय, पेयजल, बिजली आदि की व्यवस्था करने में प्रयास करन

7:-एड्स बचाव के लिए जन समुदाय को समुचित जानकारी देना और प्रचार-प्रसार करना और नि:शुल्क संसाधन उपलब्ध कराना

8:-दैवीय आपदाओं के समय जनता की हर सम्भव मदद करना।

9:-वृद्धाओं एवं विधवाओं के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनायें तैयार कर उसे क्रियान्वित करना तथा वृद्धा आश्रम व विधवा आश्रम की व्यवस्था करना ।

10:-मानवता के आधार पर असहाय, गरीबों, निर्बलों, निर्धनों की सहायता के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच, नेत्र शिविर, नि:शु दवा वितरण, चश्मा, भोजन आदि की व्यवस्था करना।

Sandip K. Singh
Mukund Singh
भारती सिंह
सरोजनी सिंह

सत्य प्रतिलिपि

कार्यालय सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स वाराणसी
21/06/

जांच कर्ता
मिलान कर्ता

11- क्षेत्र के पुरुषों, महिलाओं एवं युवकों-युवतियों के सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षिक, रचनात्मक, कलात्मक, सृजनात्मक, शारीरिक, मानसिक विकास करने के लिये प्रयास करना

12- समाज कल्याण एवं विकास से संबंधित सभी कार्यों का प्रचार प्रसार करना।

13-पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण पर कार्यक्रम बनाना व संचालन करना।

14-निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने केलिये प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना।

15- वृक्षारोपण की व्यवस्था करना।

16- विभिन्न प्रकार के रोगों केनिदान के लिये निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करना।

17- बच्चों के विकास, बालिकाओ के समग्र विकास हेतु शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा हेतु कार्यक्रम बनाना।

18- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षा जैसे- मूल अधिकार को बढ़ावा देने हेतु शिक्षण कार्यक्रमों कोसंचालित करना।

19- बाल मजदूरी जैसे सामाजिक अभिशाप को दूर करने हेतु कार्य करना।

20- वृद्धों, विकलांगों, समाज के निराश्रित वर्ग, शोषित पीड़ित, दलित एवं अन्य निर्बल वर्ग हेतु उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु कार्यक्रम संचालित करना।

21- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सामाजिक विकास हेतु कार्यक्रम करना।

22- युवाओं को स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने हेतु आर्थिक स्वावलम्बन को बढ़ावा देने केलिये स्वरोजगारपरक शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यशालाओं का संचालन करना।

23- पंचायती राज के विकास हेतु गाँव के विकास हेतु गाँव में कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार करना।

24- आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु समाज के निर्बल में स्वसहायता समूहों के मदद से बचत, ऋण, लेन-देन कराना।

25- बच्चों एवं युवकों के विकास हेतु शिक्षण संस्थान की स्थापना करना एवं संचालन करना।

26- हस्त शिल्प में कार्यरत शिल्पियों एवं शिल्प के विकास, प्रचार-प्रसार, डिजाइन, औजार, स्वास्थ्य शिक्षा आदि कार्य

-आर

Sandip Kr Singh
सन्दीप सिंह
बनारसी सिंह
Sarojini Singh

सत्य प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रति अधिकारी
निबन्धक

भारत सरकार, राज्य सरकार, खादी कमीशन एवं खादी बोर्ड अन संस्थाओं या व्यक्तियों से दान, अनुदान, ऋण लेकर विकास पर का करना।

27- यूनीसेफ, सिप्सा, डूडा, द्वारा दिये गये कार्यों को करना तथा प्रचार-प्रसार करना।

28-स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु स्वरोजगारपरक शिक्षा कार्यक्रमों को संचालित करना।

29- मलीन बस्तियों के विकास हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वावलम्बन हेतु कार्यक्रम संचालित करना।

30- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक विकास के लिये दान, अनुदान, ऋण के माध्यम से कार्यक्रम संचालित करना।

31- अल्पसंख्यक समाज के आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक विकास हेतु कार्यक्रम संचालित करना।

32- विधि महाविद्यालय, डिग्री कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज की स्थापना एवं उसका संचालन करना।

33- मैनेजमेन्ट एवं कम्प्यूटर विज्ञान शिक्षण संस्था की स्थापना करना एवं संचालन करना तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित शिक्षण प्रोग्राम को चलाना तथा प्रचार-प्रसार करना।

34- पुस्तकालय की स्थापना करना एवं संचालन करना ।

35- नि:शुल्क विधिक सहायता केन्द्र की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।

5- प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता, पद व व्यवसाय जिनको संस्था के नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है:-

-4पर

Sandip K. Singh

उपेन्द्र सिंह

बनारसी सिंह

Sarojini Singh

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

क्र0सं0नाम	पता	पद	व्यवसाय
1-श्री बनारसी सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह	ग्रा0रामपुर, परगना हवेली, चुनार, जिला मीरजापुर।	अध्यक्ष	समाजसेवा
2-"संदीपकुमार सिंह पुत्र श्री बनारसी सिंह	ग्रा0पुरादुवासा, पो0सुरहा(अदलहाट) जिला मीरजापुर।	महामन्त्री	"
3-" मुकुन्द सिंह पुत्र श्री कामताप्रसाद सिंह	प्लाट नं0 38/4, प्रभातनगर कालोनी, इन्द्रानगर (एक्सटेंशन), चितईपुर, वाराणसी।	कोषाध्यक्ष	"
4:-सन्ध्या सिंह पुत्री श्री हरिशंकर सिंह	एन.6/66आर-30, प्रभातनगर कालोनी, इन्द्रानगर (एक्सटेंशन) चितईपुर वाराणसी।	सदस्य	समाजसेविका
5:-" कुमुद सिंह पत्नी राजेन्द्रराय शर्मा	प्लाट नं020/137, राजेन्द्रनगर कालोनी दत्तापाड़ा रोड (नियर फ्लाई ओवर) बोरीवली पूर्व, मुम्बई (महाराष्ट्र)	"	"
6:-"सरोजनी सिंह पत्नी श्री बनारसी सिंह	एन.6/66आर-30, प्रभातनगर कालोनी, इन्द्रानगर (एक्सटेंशन), चितईपुर, वाराणसी।	"	"
7:-"कमला देवी पत्नी हरिशंकर सिंह	एन.13/209-एच-12, ब्रिजइनक्लेव कालोनी सुन्दरपुर, जिला वाराणसी।	सदस्य	"

6:- हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता संस्था को उपरोक्त स्मृति-पत्र के अनुसार सोसाइटीज रजि0 एक्ट 21 सन् 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत कराना चाहते हैं।

दिनांक-

हस्ताक्षर

Sandip Kr. Singh

Mukund Singh

बनारसी सिंह

सरोजनी सिंह

सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

24

﴾संशोधित नियमावली﴿

1- संस्था का नाम:- वेल्कन सोसाइटी ।

2- संस्था का पता:- एन॰ 6/66-आर॰-30, प्रभातनगर कालोनी, इन्द्रानगर ﴾एक्सटेंशन﴿ चितईपुर, डी0एल0डब्लू0 रोड, चितईपुर जिला- वाराणसी ﴾यू0पी0﴿

3- संस्था का कार्यक्षेत्र:- सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

4- संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग:-

संस्था की सदस्यता निम्नवत् होगी:-

अ- आजीवन सदस्य:- वे व्यक्ति जो संस्था को 1000/-रूपया नकद धनराशि या उससे अधिक मूल्य की चल-अचल सम्पत्ति एक बार में देगें, वे व्यक्ति संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेगें।

ब- सामान्य सदस्य:- वे व्यक्ति जो संस्था को 100/-रूपया वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में जमा करेगें, वे संस्थाके सामान्य सदस्य माने जायेगें।

स- विशिष्ट सदस्य:- समाज के सम्मानित व्यक्ति जो संस्था को सुचारू रूप से संचालन के लिये तन, मन एवं धन से पूर्ण रूपेण सहयोग देगें, एवं संस्था के हित में विशेष योगदान प्रदान करेगें, वे संस्था के प्रबंधसमिति के 2/3 बहुमत से विशिष्ट सदस्य मनोनीत कर लिये जायेगें।

5- सदस्यता की समाप्ति:- निम्न तथ्यों के आधार पर संस्था की सदस्यता समाप्त समझी जायेगी:-

1- किसी सदस्य के मृत्यु होने पर।
2- किसी सदस्य के न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।
3- किसी सदस्य के पागल या दीवालिया होने पर।
4- किसी सदस्य के स्वयं लिखित त्याग-पत्र देने पर।
5- किसी सदस्य के निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा न करने पर।
6- किसी सदस्य के संस्था के विरुद्ध हानिकारक कार्य करने पर।

6- संस्था के अंग:- संस्था के दो अंग होगें:-

अ- साधारण सभा
ब- प्रबंधकारिणी समिति।

Sandip Kumar Singh
Mukund Singh
बनारसी सिंह

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

-2पर

प्राप्त

27

7- साधारण सभा :-

अ-गठन :- संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर नियमावली के कालम नम्बर चार के अनुसार साधारण सभा का गठनकिया जायेगा।

ब- बैठकें :- साधारणसभा के सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम दो बार तथा विशेष आवश्यक बैठक आवश्यकतानुसार किसी भीसमय बुलाई जा सकती है।

स- सूचना अवधि :- साधारण सभा के सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 15 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना बैठक से 3 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

द-गणपूर्ति :- संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों के कम से कम 2/3 उपस्थिति में सभी बैठकों की गणपूर्ति पूर्ण मानी जायेगी।

य- वार्षिक अधिवेशन :- संस्था का वार्षिक अधिवेशन 15 अगस्त के अवसर पर हर वर्ष हुआ करेगी।

र- साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1- संस्था के गत वर्ष के बजट एवं कार्यकलापों आदि पर विचार करना तथा आगामी वर्ष के लिये स्वीकृति प्रदान करना।

2- संस्था के नियमों एवं विनियमों में नियमानुसार संशोधन एवं परिवर्तन हेतु स्वीकृति प्रदान करना।

3- प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव नियमानुसार करना।

4- प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव पर विचार कर उसे स्वीकृत करना

8-प्रबंधकारिणीसमिति :-

अ-गठन :- साधारण सभा के बहुमत से प्रबंधकारिणी समिति का गठन करना जिसमें अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष के अलावा 4 प्रबंधसमिति के सदस्य होगें।

ब-बैठकें :- प्रबंधकारिणी समिति के सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम तीन बार तथा विशेष आवश्यक बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

-उपर

Sandip Kr. Singh
Mukund Singh
आरसी सिंह

सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

22

/3/

स- सूचना अवधि:- प्रबंधकारिणी समिति के सामान्य बैठक की सूचना बैठकसे 10 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना बैठक से एक दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

द-गणपूर्ति:- प्रबंधकारिणी समिति के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों के कम से कम 2/3 उपस्थिति में सभीबैठकों की गणपूर्ति पूर्ण मानी जायेगी।

य- रिक्त स्थानों की पूर्ति:- प्रबंधकारिणीसमिति में किसी भी पदाधिकारी या सदस्य का स्थान रिक्त होने पर साधारण सभा के बहुमत से शेष अवधि के लिये साधारण सभा के सदस्यों में से किसी भी योग्य व्यक्ति का चुनाव कर लिया जायेगा।

र- प्रबंधकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य:-

1- संस्था के लिये अनुदान, दान, चन्दें, उपहार, सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं आदि से प्राप्त करना।

2- संस्था के आय-व्यय एवं वार्षिक बजट पर विचार करना तथा उसे स्वीकृत करना।

3- संस्था को सुचारू रूप से संचालन के लिये उपसमितियों का गठन करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति, विमुक्ति आदि के लिये निर्णय लेना।

5- संस्था केलिये चल-अचल सम्पत्तियों की व्यवस्था करना

6- अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो संस्था के हित में आवश्यक हो।

ल-कार्यकाल:- प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल सामान्य रूप से पाँच वर्ष का होगा।

9- प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य:-

अध्यक्ष:-

1- संस्था के साधारणसभा एवं प्रबंधकारिणी समिति के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।

2- किसी भी विचारणीय विषय पर समान मत होने पर एक अलगसे निर्णायक मत देना।

3- बैठक करने के लिये महामंत्री के राय से दिनांकों का अनुमोदन करना तथा उसमें परिवर्तन करना।

4- अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगें।

-4पर

Sandip K. Singh
Mukund Singh
कमला सिंह
(सोजनी सिंह)

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी

प्रतिलिपि

/4/

महा-मंत्री :-

1- संस्था के लिये अनुदान, दान, चन्दे, उपहार एवं सदस्यता शुल्क प्राप्त करना तथा उसके लिये यथाविधि रसीदें देना।

2- आवश्यकतानुसार सामान्य एवं विशेष आवश्यक बैठक बुलाना एवं कोरम के अभाव में बैठकें स्थगित करना।

3- बैठक करने के लिये सभी सदस्यों को सूचनायें देना तथा बैठक में की गयी कार्यवाही को लिखना।

4-वैतनिक कर्मचारियों के वेतन, वेतनवृद्धि तथा अन्य देय धनराशि आदि का भुगतान स्वीकृत करना।

5- वैतनिक कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।

6- आय-व्यय का वार्षिक विवरण तैयार करना तथा आडिट कराना।

7- संस्था से संबंधित कागजातों एवं प्रपत्रों आदि पर हस्ताक्षर कर उसे जारी करना।

8- संस्था की ओर से पत्र-व्यवहार करना।

9- अदालती कार्यवाही का प्रतिनिधित्व करना।

10- समय-समय पर संस्था के हित में आवश्यक सुझाव देना

11-अन्य सभी अधिकारों का प्रयोगकरना जो नियमानुसार मान्य होगें।

कोषाध्यक्ष :-

1- संस्था के निधियों एवं सम्पत्तियों केलेखे को तैयार करना।

2- आय-व्यय का हिसाब-किताब तैयार कर उसे महामंत्री को देना।

3-अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होगें।

10- संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :-

साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत से संस्था के नियमों एवं विनियमों में नियमानुसार संशोधन एवं परिवर्तन किया जायेगा।

11- संस्था का कोष :-

किसी भी स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर संस्था का समस्त धनराशियों को जमा किया जायेगा जिसका संचालन महामंत्री के हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।

Sandip K. Singh
Mukund Singh
बेनारसी सिंह

सत्य प्रतिलिपि

12- संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट):-
संस्था के वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रबंधकारिणी समिति द्वारा नियुक्त आय-व्यय निरीक्षक द्वारा संस्था के आय-व्यय का लेखापरीक्षण कराई जायेगी।

13- संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्व:-
संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध लगाये गये अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महामंत्री पर होगा।

14- संस्था के अभिलेख:- संस्था के निम्नलिखित अभिलेख होगें:-

1- कार्यवाही रजिस्टर
2- सदस्यता रजिस्टर
3- स्टाक रजिस्टर
4- कैशबुक आदि होगें।

15- संस्था के विघटन:- संस्था के विघटन तथा विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजि० अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

सत्य-प्रतिलिपि

दिनांक-

हस्ताक्षर

Sandip Kr Singh

Mukund Singh

बनारसी सिंह

[illegible] सिंह

सत्य प्रतिलिपि

कृते सहायक निबंधक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
वाराणसी मण्डल वाराणसी

वेल्किन सोसाइटी

एन. 6/66–आर–30, प्रभात नगर कालोनी, इन्द्रानगर (एक्स्टेंशन), चितईपुर, डी.एल.डब्ल्यू. रोड, चितईपुर, जिला–वाराणसी, उ0प्र0

साधारण सभा की सूची वर्ष– 2015–2016

क्र.सं.	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री बनारसी सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह	ग्राम–रामपुर, परगना हवेली, चुनार, जिला–मीरजापुर	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	श्री संदीप कुमार सिंह पुत्र श्री बनारसी सिंह	ग्राम–पुरादुर्वासा, पोस्ट–सुरहा (अदलहाट), मीरजापुर	महामंत्री	समाजसेवा
3.	श्री मुकुन्द सिंह पुत्र श्री कामता प्रसाद सिंह	प्लाट नं0 38/4, प्रभात नगर कालोनी, इन्द्रा नगर (एक्स्टेंशन), चितईपुर, जिला–वाराणसी	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
4.	सन्ध्या सिंह पुत्री श्री हरिशंकर सिंह	एन. 6/66 आर–30, प्रभात नगर कालोनी, इन्द्रा नगर (एक्स्टेंशन), चितईपुर, जिला–वाराणसी	सदस्य	समाजसेवा
5.	श्रीमती कुमुद सिंह पत्नी श्री राजेन्द्र राय शर्मा	प्लाट नं. 20/137, राजेन्द्र नगर कालोनी, दत्तापाडा रोड (नियर फ्लाईओवर), बोरीबली, पूर्व मुम्बई, महाराष्ट्र	सदस्य	समाजसेवा
6.	श्रीमती सरोजनी सिंह पत्नी श्री बनारसी सिंह	एन. 6/66 आर–30, प्रभात नगर कालोनी, इन्द्रा नगर (एक्स्टेंशन), चितईपुर, जिला–वाराणसी	सदस्य	समाजसेवा
7.	श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री हरिशंकर सिंह	एन. 13/209–एच–12, ब्रिज इन्क्लेव कालोनी, सुन्दरपुर, वाराणसी	सदस्य	समाजसेवा
8.	श्रीमती मीनू राय पुत्री श्री रघुवंश राय	ग्राम–तोरनी, अंचल करगहर, जिला–रोहतास, बिहार	सदस्य	समाजसेवा
9.	श्री रघुवंश राय पुत्री श्री रामदयाल राय	ग्राम–तोरनी, अंचल करगहर, जिला–रोहतास, बिहार	सदस्य	समाजसेवा
10.	श्री शशिकान्त राय पुत्र श्री जगदीश राय	506, जी0टी0 रोड (साउथ), मंगलदीप अपार्टमेन्ट, ब्लाक–बी, फ्लैट नं. 401, चतुर्थ तल, हावड़ा–711101	सदस्य	समाजसेवा
11.	श्री राजेन्द्र रामराज शर्मा पुत्र श्री रामराज राय शर्मा	प्लाट नं. 20/137, राजेन्द्र नगर कालोनी, दत्तापाड़ा रोड, बोरीबली–पूर्व मुम्बई, महाराष्ट्र	सदस्य	समाजसेवा
12.	श्री हरिशंकर सिंह पुत्री श्री काशीनाथ सिंह	एन. 13/209–एच–12, ब्रिज इन्क्लेव कालोनी, सुन्दरपुर, वाराणसी	सदस्य	समाजसेवा
13.	श्रीमती मंजू सिंह पत्नी श्री अशोक सिंह	ब्रिज इन्क्लेव कालोनी, (निकट) लाइफ लाइन हास्पीटल, सुन्दरपुर, वाराणसी	सदस्य	समाजसेवा

बनारसी सिंह
मुकुन्द सिंह
Rajendra Rai Sharma
S.K. Rai
Manju Singh
मीनु राय
Partip K. Singh
कमला देवी
H Singh
सन्ध्या सिंह
Sarojini Singh
Kumud Singh
रघुवंश राय

संख्या – 1012 दिनांक 2/6/ 2015

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण–पत्र

नवीकरण संख्या – 401 /2015–16

फाइल संख्या V-30829

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि वेल्किन सोसाइटी, एन. 6/66–आर–30, प्रभातनगर कालोनी इन्द्रनगर (एक्सटेंशन) चितईपुर, डी0एल0डब्ल्यू0 रोड, चितईपुर, वाराणसी। को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र संख्या – 264/2005–2006 दिनांक 25–05–2005 को दिनांक 24–05–2015 से पॉच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1100/– रूपये की नवीकरण फीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 02–06–2015

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

(P.T.O.)